राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 15/2018..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री पृथ्वी स्टील रोलिंग मिल्स (प्रा0) लिमिटेड, जयपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/01/2018	**खण्डपीठ** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 139/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2017–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 30.05.2017 से सृजित मांग राशि रूपये 46,97,427/– में से रूपये 43,86,327/– की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 43,86,327/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जी. एन. शर्मा ने कथन किया कि उनके द्वारा पूर्ण वैट अदा किया जाकर माल क्रय किया गया है, भुगतान अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से किया गया है। व्यवहारी के नियमित कर निर्धारण आदेश में आई. टी.सी. को अनुमत किये जाने के उपरान्त वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रकरण को पुनः खोलते हुए आई.टी.सी. रिवर्स किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक भूल की गयी है। विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा नहीं कराये जाने के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी का आगत कर का मुजरा रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन कि अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारी द्वारा देय कर जमा नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी आई.टी.सी. प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। वेट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार विक्रेता व्यवहारी द्वारा वसूल किया गया वैट राजकोष में जमा होने के सत्यापन के लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 15/2018..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री पृथ्वी स्टील रोलिंग मिल्स (प्रा0) लिमिटेड, जयपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/01/2018	उपरान्त ही क्रेता व्यवहारी को आई.टी.सी. अनुमत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण को पुनः खोलते हुए आई.टी. सी. को रिवर्स किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन के पश्चात् एवं अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान अनुसार आई.टी.सी. का समायोजन विक्रेता द्वारा कर राशि राजकोष में जमा होने की शर्त के आलोक में प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	